9/4/24 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 13/5/24 को पेश हो।

13/5/24 वकील आपत्तिकर्ता हाजिर। प्रतिवादी अजावीक्ष की तलबी बाबत अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

30/5/24 वकील आपत्ति अधि. हाजिर नहीं। प्रतिवादी गण की तलबी बाबत कई भी बार दिये जा चुके हैं आगामी पेशी पर सम्मन तलबाना पेश नहीं किये जाते हैं तो O9 R5 r/w 151 CPC के तहत कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो।

24/6/24 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 11/7/24 को पेश हो।

11/7/24 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 13/7/24 को पेश हो।

लोक अदालत की आवश्य से विड्रा कर रहा हूँ
श्री. र.

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.07.30 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या :– 11, रायसिंहनगर
(न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर)
जिला अनूपगढ़ न्यायक्षेत्र श्रीगंगानगर

श्यामलाल बनाम सोनीराम आदि
प्रार्थना पत्र सं. 74/2019 जी.सी.एम.एस. : 2019/00231
अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट

13.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/एनएलए/2024/46 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैंच सं. 11 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई।

प्रकरण में वकील प्राथी द्वारा दिनांक 13.07.2024 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो गया हैं, प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया हैं, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच को निस्तारण हेतु रैफर की हैं। चूंकि प्रकरण में राजीनामा हो गया हैं, तथा प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाकर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं, तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.07.2024 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डॉ. पवन कुमार बिश्नोई,
अति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर
(अध्यक्ष)
लोक अदालत बैंच सं. 11
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

अंकित मीमानी
नायब तहसीलदार मुकलावा
तहसील रायसिंहनगर।
(सदस्य)
लोक अदालत बैंच सं. 11
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.07.30 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner